तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
15/3/18	[illegible] वादी/प्रतिवादी [illegible] के समक्ष [illegible] में सुनवाई नहीं हो [illegible] दिनांक ------ ---------- 18/4/18 ---------- को पेश हो।	
18.4.18	पत्रावली का लोक अदालत हेतु चयन किया गया, पक्षकारान को नोटिस जारी हो पत्रावली दिनांक 13.6.18 केम्प तोरण . . को पेश हो	
13/6/18	पत्रावली लोक अदालत केम्प तोरण में पेश हुई। वादी नं0 2 मजमें आम में उपस्थित। वादी को प्रकरण के सम्बन्ध में सुना गया। वादी ने कथन किये कि दिनांक 22.02.1985 को देवनाथ को ख0नं0 640 की- 4 बीघा 19 बिस्वा भूमि आवंटित हुई थी तथा मिलान क्षेत्रफल अनुसार उक्त भूमि के वर्तमान ख0नं0 458 रकबा 1.62 हे0 तथा गत ख0नं0 640 रकबा 9 बीघा 19 बिस्वा दर्ज रिकॉर्ड है। देवनाथ की मृत्यु दिनांक 06.02.2003 को हो जानें के कारण उक्त भूमि का फोती इंतकाल नं0 316 दिनांक 03.11.04 को तस्दीक किया गया तथा उक्त इंतकाल में देवनाथ के वारिसानों का नाम गलत दर्ज हो जानें के कारण नरेश के स्थान पर नरेन्द्र तथा ज्ञानेश्वर के स्थान पर महेन्द्र एवं सीमाबाई के स्थान पर गीताबाई दर्ज हो जानें के कारण वादीगण के द्वारा सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई, जिसका निस्तारण दिनांक 24.02.08 को किया गया तथा अपील स्वीकार करते हुए इंतकाल नं0 316 को निरस्त करते हुए नये सिरे से इंतकाल तस्दीक करनें के आदेश प्रदान किये गये थे। किन्तु उक्त निर्णय की पालना करनें हेतु हल्का पटवारी द्वारा स्पष्ट इंकार कर दिया गया। अतः ग्राम उकल्दा स्थित ख0नं0 458/1 रकबा 0.79 हे0 के स्थान पर 0.83 हे0 भूमि पर वादीगण को खातेदार घोषित किया जावें। मजमें आम में पत्रावली का आद्योपान्त गहन मनन अवलोकन किया। प्रस्तुत तर्कादि पर विचार किया। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य का प्रस्तुत प्रकरण के सम्बन्ध में विधिक विचार किया। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दीगोद द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.02.08 के अनुसार देवनाथ का फोती इंतकाल दर्ज करते समय वारिसान का नाम नरेश के स्थान पर नरेन्द्र तथा ज्ञानेश्वर के स्थान पर महेन्द्र एवं सीमाबाई के स्थान पर गीताबाई दर्ज किये जानें का मत प्रकट किया है। तथा इंतकाल नं0 316 दिनांक 03.11.04 को निरस्त कर, प्रकरण रिमाण्ड कर पुनः नियमानुसार जांच कर नियमानुसार नामान्तरकरण की कार्य करनें के निर्देश पारित किये गये थे	ज्ञानेश्वर [illegible] (हल्का [illegible] नरेन्द्र [illegible])

Scanned by CamScanner

जिसकी पालना आदिनांक तक नहीं की गई है। चूंकि प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजात् से प्रमाणित है कि देवनाथ के वारिसान का नाम त्रुटिपूर्ण अंकित किया गया है। जो दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

लिहाजा वाद वादीगण आंशिक स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि विवादित गैरखातेदारी आराजी वाके ग्राम उकल्दा स्थित ख0नं0 458/1 रकबा 0.79 हे0 के स्थान पर 0.83 हे0 भूमि में अंकित नाम नरेन्द्रनाथ के स्थान पर नरेश, महेन्द्रनाथ के स्थान पर ज्ञानेश्वर तथा गीताबाई के स्थान पर सीमाबाई दर्ज किया जावें। तद्नुसार डिक्री जारी हो। निर्णय मजमें आम में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Scanned by CamScanner

डिक्री मुकदमा

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रट दीगोद जिला कोटा लोक अदालत केम्प तोरण

उनवान

1. नट्टी बाई पत्नी स्व0 देवनाथ जाति नाथ
2. ज्ञानेश्वर पुत्र स्व0 देवनाथ जाति नाथ
3. नरेश कुमार पुत्र स्व0 देवनाथ जाति नाथ नाबालिग जरिये वली माता नट्टी बाई निवासीगण पडास्ल्या तहसील दीगोद जिला कोटा

– वादीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद, तहसील दीगोद जिला कोटा

– प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88–89–92 क आरटीएक्ट

मिसल नम्बर– 64/11

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू मुझ तारामती वैष्णव आर.ए.एस. बहाजिरी मिनजानिब मुद्दई रुबरु मिनजानिब मुद्दालयह लोक अदालत में पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि " वाद वादीगण आंशिक स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि विवादित गैरखातेदारी आराजी वाके ग्राम उकल्दा स्थित ख0नं0 458/1 रकबा 0.79 हे0 के स्थान पर 0.83 हे0 भूमि में अंकित नाम नरेन्द्रनाथ के स्थान पर नरेश, महेन्द्रनाथ के स्थान पर ज्ञानेश्वर तथा गीताबाई के स्थान पर सीमाबाई दर्ज किया जावें।" तद्नुसार डिक्री जारी की जाती है।

मेरे दस्तख्त व मोहर अदालत से आज दिनांक 13.06.2018 को जारी किया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्दई	रुपये	पैसे	मुदालयह	रुपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प वजूह सबूत	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
महन्ताना वकील	0	0	महन्ताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0	बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुत0	0	0	मुत0	0	0
मिलान	0	0	मिलान	0	0

खर्चा उभय पक्ष अपना–अपना वहन करेंगे।

(तारामती वैष्णव)
सहायक कलक्टर,
दीगोद

Scanned by CamScanner